

20/10/2025 (10/10/2025) 6003/2025/498

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर**

तहसीलदार, धोद ..... बनाव ..... छीतरमल कांडि  
किस्म मुकदमा ..... मु.नं. 232 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
21/7/20	<p>तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1060 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम लोसल छोटी पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खसरा सं. 597, 857/598 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधि. 1956 बाबत रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज हेतु प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रकरण को अन्तर्गत धारा 131, 132 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में खसरा सं. 597, 857/598 के खातेदारान मुताबिक जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति/अपना पक्ष/साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश करना हो तो, इस बाबत वर्णित खसरा सं. 597 के खातेदार छीतरमल पुत्र चतराराम जाति रैगर निवासी ग्राम लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर व खसरा सं. 857/598 के खातेदारान ओमसिंह, प्रहलादसिंह, भवानीसिंह पुत्रगण माधोसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर को जरिये रजिस्टर्ड डाक/तहसीलदार से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.08.2025 को पेश हों।</p>

603-606  
21/7/20



उपखण्ड अधिकारी,  
धोद, जिला सीकर  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर

पत्रावली पेश हुई/वकाल उभयपक्ष उपस्थित है  
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त,  
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व  
आदेशानुसार दिनांक 19/8/25 को पेश हो

19/8/25

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण प्रहलाद सिंह, ओम सिंह, भवानी सिंह की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया, जो कि शामिल पत्रावली रहे। उक्त जवाब नोटिस में सारतः उल्लेखित किया जाकर उक्त रास्ता कटान में किये जाने में सहमति प्रदान की है। उक्त सहमति स्वरूप जवाब तथा समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1060 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम लोसल छोटी पटवार मण्डल लोसल छोटी भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 597, 857/598 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रहलाद सिंह  
ओमसिंह  
भवानी सिंह



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

न्यायालय

किस्म मुकदमा

तहसील/पट्टा, धोद ..... बनाम ..... श्रीलाल शर्मा  
 किस्म मुकदमा ..... 50प 381/131, 152/84 ..... मु.नं. 232 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता सार्वजनिक व प्रचलित रास्ता है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त सिंगरावट की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम लोसल छोटी पटवार मण्डल लोसल छोटी भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 597, 857/598 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव के संबंध में अप्रार्थीगण प्रहलाद सिंह, ओम सिंह, भवानी सिंह की ओर से रास्ता कटान में किये जाने बाबत सहमति पेश हो चुकी है। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1060 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1060 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव</p>



उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर

सीकर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम श्रीतरुण कांड  
किस्म मुकदमा आयक अधा. 131, 132, 133 मु.नं. 232 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
--------	--------------

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम लोसल छोटी पटवार मण्डल लोसल छोटी भू.अ.नि. वृत्त सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 597, 857/598 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1060 दिनांक 11.06.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।  
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला सीकर  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर